जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी
बिजली आपूर्ति में व्यवधान सहन नही होगा– मुख्य सचिव

जयपुर, 09 दिसम्बर। राज्य सरकार ने आज यह स्पष्ट कर दिया कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान डालने और तोड़फोड़ करने वाले तकनीकी कर्मचारियों के साथ कोई नरमी नही बरती जाएगी।

आज मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बिजली कम्पनियों के तकनीकी कर्मचारियों के आंदोलन की समीक्षा की गई और निर्णय किया गया कि आम जनता को परेशान करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इन्टेलीजेन्स, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव श्री सी.एस.राजन ने कहा कि बिजली आपूर्ति बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए उन्हें तुरन्त गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही ग्रिड सब–स्टेशन में तोड़–फोड़ कर नुकसान पहुचांने वाले तकनीकी कर्मचारियों के विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज करवाया जावे। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ मंगलवार को एफआईआर दर्ज हो गई है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

श्री राजन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 2 दिसम्बर को राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पांचों बिजली कम्पनियों में 31 मई, 2016 तक हड़ताल पर रोक लगाने के बावजूद भी कार्यालय से अनुपस्थित रहने, धरना–प्रदर्शन करने वालों के विरुद्ध उनके दोष के अनुसार विभागीय कार्यवाही की जाए।

———————————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 333/2015